SHODH SAMAGAM

ISSN : 2581-6918 (Online), 2582-1792 (PRINT)

राज्यपाल की संवैधानिक स्थिति तथा संबंधित विवाद का एक विधिक अध्ययन

रत्ना श्रीवास्तव, शोधार्थी, विधि विभाग
कलिंगा विश्वविद्यालय, रायपुर, छत्तीसगढ़, भारत

ORIGINAL ARTICLE

Author
रत्ना श्रीवास्तव

shodhsamagam1@gmail.com

Received on : 09/05/2023
Revised on : -----
Accepted on : 17/05/2023
Plagiarism : 01% on 09/05/2023

शोध सार

भारतीय संविधान में राज्यपाल का स्पष्ट प्रावधान न होने के कारण राज्यपाल का पद अक्सर विवादों से घिरा रहता है, चाहे यह विवाद उसके कार्यों से संबंधित हो या उसकी शक्तियों से संबंधित हो। राज्यपाल की नियुक्ति पूर्णतः राजनैतिक होती है, इसलिए इसे लेकर अलग – अलग दलों के नेता राजनीति करते हुए दिखाई पड़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने विभिन्न निर्णयों के माध्यम से राज्यपाल पद के संबंध में उठने वाले विवादों को रोकने के लिए समय–समय पर दिशा निर्देश दिए हैं और इसके साथ ही कई आयोगों ने भी इन विवादों को रोकने के लिए अपनी सिफारिशें दी हैं। इस शोध पत्र का उद्देश्य राज्यपाल पद से संबंधित उठने वाले विवादों को जानना, उन विवादों के कारणों को जानना, उनका विश्लेषण करना तथा उनको दूर करने के उपायों को जानना है।

मुख्य शब्द

वायसराय, मंत्रीपरिषद्, नौकरशाह, सुप्रीम कोर्ट, क्षेत्रीय राजनीति, पारदर्शिता.

भूमिका

राज्यपाल का पद राजनैतिक पद न होकर एक संवैधानिक पद होता है। राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख तथा कार्यकारी प्रमुख होता है। अपनी दोहरी भूमिका के कारण यह राज्य का मार्गदर्शक तथा संरक्षक दोनों होता है। भारत के संविधान के भाग 6 में देश के संघीय ढांचे के अभिन्न हिस्से के रूप में राज्यपाल (अनु. 153) का प्रावधान किया गया है, जो राज्य में केन्द्र का प्रतिनिधि होता है और केन्द्र तथा राज्य के बीच संबंधों को निर्धारित करने में सेतु का कार्य करता है। अपने संवैधानिक दायित्वों के निर्वहन में राज्यपाल का पद हमेशा विवादों से घिरा रहता है खासतौर से जब केन्द्र तथा राज्यों में अलग–अलग पक्षों की सरकारें होती हैं।

संबंधित राज्य की सरकारें राज्यपाल को मोहरा बनाकर राजनीति करते हुए दिखाई देती हैं। संविधान निर्माण के समय भी संविधान सभा में राज्यपाल का पद तथा शक्तियां चर्चा का विषय रहीं थीं। केन्द्र द्वारा राजभवनों के दुरूपयोग के उदाहरण अक्सर देखने को मिलता है। अभी राज्यपाल का पद फिर से सुर्खियों में बना हुआ है क्योंकि हाल ही में 12 राज्यों तथा 1 केन्द्र शासित प्रदेश के राज्यपालों की नियुक्ति की गई है, जिसमें कुछ तो नए नाम हैं और कुछ को एक राज्य से दूसरे राज्य में ट्रांसफर किया गया है। केन्द्र और राज्यों के संबंधों में राज्यपाल की भूमिका बहुत अहम होती है। राज्यपाल का पद सरकार चलाने के लिए नहीं होता अपितु सरकार संविधान के अनुसार कार्य करे यह देखने के लिए होता है। कहने के लिए तो राज्यपाल एक संवैधानिक पद है परन्तु इसकी नियुक्ति पूर्णतः राजनैतिक होती है इसलिए यह पद हमेशा विवादों से घिरा रहता है।

राज्यपाल के पद की ऐतिहासिक पष्ठभूमि

गवर्नर पद की शुरूआत सन् 1757 के प्लासी के युद्ध के पश्चात् हुई, जब ईस्ट इण्डिया कंपनी ने बंगाल पर कब्जा कर लिया, तब बंगाल का पहला गवर्नर नियुक्त किया गया। उसके बाद गवर्नर का नाम बदलकर गवर्नर जनरल कर दिया गया। सन् 1857 की क्रांति के बाद ईस्ट इण्डिया कंपनी को समाप्त कर दिया गया और भारत में क्राउन का शासन प्रारंभ हो गया। सन् 1858 में गवर्नर जनरल का नाम बदलकर वायसराय कर दिया गया तथा भारत के पहले वायसराय (गर्वनर) की नियुक्ति की गई जो क्राउन के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता था। इसके बाद सन् 1935 में जब भारत शासन अधिनियम पारित हुआ, जो कि एक महत्वपूर्ण अधिनियम था, उसके अंतर्गत गवर्नर की शक्तियों में विस्तार किया गया, इनको कुछ उत्तरदायित्व भी दिए गए। स्वतंत्रता के बाद वायसराय तथा गवर्नर जनरल का नाम बदलकर गवर्नर कर दिया गया। तत्पश्चात् संविधान निर्माण के बाद भारत के प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल की नियुक्ति की जाने लगी।

संविधान सभा में राज्यपाल के पद पर चर्चा

राज्यपाल का पद संविधान सभा में भी चर्चा का विषय रहा। स्वतंत्रता के पश्चात् जब 1 जून 1949 को संविधान निर्माण के दौरान संविधान सभा की बैठक चल रही थी, तब इस बात पर चर्चा उठी कि "राज्यों में राज्यपाल की भूमिका क्या हो?" उस समय संविधान सभा के सदस्य एच. बी. कामद के द्वारा राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियों पर सवाल उठाया गया और उसी से संबंधित संविधान सभा में राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियों को हटाए जाने के लिए कई संशोधन भी लगाए गए, लेकिन उन सारे संशोधनों को खारिज कर दिया गया। संविधान सभा में राज्यपाल पद को लेकर कई मत सामने आए, जिनमें राज्यपाल के निर्वाचन और उनकी विवेकाधीन शक्ति को शामिल किया गया, जो निम्न थे:

राज्यपाल का पद नामित हो या निर्वाचित?: इस विषय पर तत्कालीन प्रधानमंत्री पं. जवाहर लाल नेहरू जी ने अपना मत देते हुए कहा कि राज्यपाल का पद नामित ही होना चाहिए क्योंकि यदि राज्यपाल के पद को निर्वाचित कर दिया जाए और उधर मुख्यमंत्री का पद भी निर्वाचित होता है, इसलिए दोनों के बीच बेवजह टकराव की स्थिति बन जाएगी। इस कारण सभा में निर्वाचित राज्यपाल की धारणा को समाप्त कर दिया गया।

राज्यपाल का विवेकाधिकार: इसी प्रकार राज्यपाल के विवेकाधिकार पर भी तर्क–वितर्क की स्थिति बन गई। कहा गया कि यदि राज्यपाल को विवेकाधिकार दे दिया गया तो कार्यपालिका ठीक तरीके से अपना कार्य ही नहीं कर पाएगी। तब इस पर डॉ. भीमराव अंबेडकर ने अपना मत देते हुए राज्यपाल को दी गई विवेकीय शक्ति को जरूरी बताया और कहा कि राज्यपाल को विवेकाधिकार देने का अर्थ यह नहीं है कि राज्य की कार्यपालिका समाप्त कर दी जाएगी।

राज्यपाल की संवैधानिक स्थिति

राज्यपाल का पद पूर्णतः एक संवैधानिक पद है। भारत ने कनाडा के संविधान से इस प्रारूप को लिया गया

है। संविधान के भाग 6 में राज्यपाल का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेदों के अनुसार प्रावधान निम्न हैं:–

- अनुच्छेद 153– संविधान का यह अनु. कहता है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा, परंतु एक ही व्यक्ति दो या अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है।
- अनुच्छेद 154– राज्य की कार्यकारी शक्तियाँ राज्यपाल में निहित होंगी। ये संविधान सम्मत कार्य सीधे उसके द्वारा या उसके अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा संपन्न होंगे।
- अनुच्छेद 155– राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति की जाएगी।
- अनुच्छेद 156– राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यन्त पद पर रहता है। जब से पद गृहण करता है तब से लेकर 5 वर्ष तक पद पर रहेगा या जब तक उसका उत्तराधिकारी नहीं होता तब तक पद पर रहता है। राज्यपाल यदि लिखित में राष्ट्रपति को त्याग पत्र देता है तब भी वह पद से हट सकता है।
- अनुच्छेद 157– राज्यपाल पद की पात्रता के लिए आवश्यक है कि वह भारत का नागरिक हो तथा उसकी आयु 35 वर्ष होनी चाहिए।
- अनुच्छेद 158– राज्यपाल को संसद के किसी भी सदन या राज्य विधायिका का सदस्य नहीं होना चाहिए तथा उसे किसी भी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए।
- अनुच्छेद 161– यह अनु. राज्यपाल को क्षमादान और दंड विराम की शक्ति प्रदान करता है।
- अनुच्छेद 163– विवेकाधीन शक्तियों के अतिरिक्त अन्य सभी कार्यों में राज्यपाल को सहायता करने के लिए और सलाह देने के लिए मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में एक मंत्रिपरिषद् का गठन किया जाने का प्रावधान है।
- अनुच्छेद 164– इस अनु. के अनुसार मुख्यमंत्री तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है।
- अनुच्छेद 200– इस अनु. के अनुसार राज्यपाल राज्य विधानसभा द्वारा पारित विधेयक को या तो अनुमति दे सकता है या अनुमति रोक सकता है या तो उस विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ भेजने के लिए सुरक्षित रख सकता है।
- अनुच्छेद 213– यह अनु. राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति का प्रावधान करता है। राज्यपाल कुछ विशिष्ट परिस्थितियों में अध्यादेशों को प्राख्यापित कर सकता है।

राज्यपाल की विवेकीय शक्ति

- राज्य विधानमंडल में जब स्पष्ट बहुमत का अभाव होता है तब राज्यपाल अपने विवेकानुसार मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है।
- अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपनी विवेकाधीन शक्ति का प्रयोग करता है।
- जब राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है तब राज्यपाल अपनी विवेकाधीन शक्ति का प्रयोग करके अनु. 356 के अनुसार राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की राष्ट्रपति से मांग करता है।

राज्यपाल की वीटो शक्तियाँ

- राज्यपाल किसी भी विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रख सकता है।
- कोई भी बिल यदि राज्यपाल के पास भेजा जाता है तो वह अपनी सहमति को स्थगित कर सकता है।

राज्यपाल पद से संबंधित विवाद

राज्यपाल एक गैर राजनीतिक प्रमुख होता है। वह पद ग्रहण करने के बाद किसी भी राजनीतिक पार्टी का सदस्य नहीं रह जाता। वह राज्य में संविधान प्रमुख हो जाता है। यहाँ उपरोक्त कथन कल्पना मात्र होता है। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, परन्तु राष्ट्रपति मंत्रीपरिषद् की सलाह पर ही राज्यपाल को नियुक्त कर सकता है। मंत्रीपरिषद् में उस राजनीतिक पार्टी के लोग ही होते हैं जिनकी केन्द्र में सरकार होती है इसलिए परोक्ष रूप से देखा जाए तो केन्द्र सरकार द्वारा ही राज्यपाल की नियुक्ति होती है। केन्द्र सरकार अपनी ही पार्टी के किसी

व्यक्ति को राज्यपाल के रूप में उस राज्य में पदस्थ कर देती है, जहाँ विपरीत पार्टी की सरकार होती है। ऐसे में कई विषयों पर राज्य सरकार तथा राज्यपाल के मध्य विवाद की स्थिति पैदा हो जाती है और ये विवादों की स्थिति हमेशा से ही राज्यों में देखी जाती रही है। कुछ मुख्य विषय जिनको लेकर राज्यपाल का पद हमेशा से विवादों में घिरा रहा है निम्न हैं:

- देश में राज्यपाल के पद के दुरूपयोग के कई उदाहरण देखने को मिलते हैं। आमतौर पर माना जाता है कि चूँकि राज्यपाल की नियुक्ति केन्द्र सरकार द्वारा की जाती है इसलिए वह राज्य में केन्द्र के निर्देशों पर कार्य करता है और यदि केन्द्र और राज्य में एक ही दल की सरकार नहीं है तो राज्य की कार्य प्रणाली में काफी समस्याएँ उत्पन्न हो जाती हैं।
- कई मामलों में एक विशेष राजनीतिक विचारधारा के साथ जाने–माने राजनेताओं और पूर्व नौकरशाहों को ही सरकार द्वारा राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया है। इसके परिणामस्वरूप कई बार राज्यपालों को पक्षपात करते हुए भी देखा जाता है।
- सत्ताधारी दल को समर्थन प्रदान करना किसी भी संवैधानिक पद पर काबिज व्यक्ति से अपेक्षित नहीं किया जाता परंतु फिर भी समय–समय पर ऐसी घटनाएँ सामने आती रहती हैं।
- राज्य में चुनावों के बाद सरकार बनाने के लिए सबसे बड़ी पार्टी या गठबंधन को आमंत्रित करने हेतु राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियों का अक्सर किसी विशेष राजनीतिक दल के पक्ष में दुरूपयोग किया जाता है।
- कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व ही राज्यपाल को पद से हटाना एक महत्वपूर्ण मुद्दा रहा है। राज्यपाल को इस आधार पर नहीं हटाया जा सकता कि वह केन्द्र की सत्ता में मौजूद दल की नीतियों और विचारधाराओं के साथ तालमेल नहीं रखता।

राज्यपाल पद के विवाद के समाधान हेतु विभिन्न आयोगों की सिफारिशें

केन्द्र तथा राज्यों के मध्य संबंधों को बनाए रखने के लिए कुछ आयोगों ने समय–समय पर अपनी सिफारिशें दीं, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण "सरकारिया आयोग" और "पुंछी आयोग" की सिफारिशें रही हैं। जो निम्न हैं:–

सरकारिया आयोग

सरकारिया आयोग का गठन भारत सरकार ने 1983 में किया था। इसके अध्यक्ष सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश रणजीत सिंह सरकारिया थे। इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट सन् 1988 में सरकार को सौंपी, जिसमें इन्होंने 247 अनुसंशाएँ की थी। न्यायमूर्ति सरकारिया ने केन्द्र राज्य संबंधों तथा राज्यों में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाने की स्थिति की व्यापक समीक्षा की और 1988 में सौंपी गई अपनी रिपोर्ट में उन्होंने इस संदर्भ में समग्र दिशा निर्देश दिए जो निम्न है:

- राज्यपालों की नियुक्ति के लिए मुख्यमंत्रियों की सलाह ली जानी चाहिए। राज्यपालों के पक्षपातपूर्ण आचरण पर अंकुश लगाने के लिए कदम उठाए जाने चाहिए।
- यदि चुनाव में किसी दल या गठबंधन को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता है तो राज्यपाल को सबसे बड़े चुनाव में पूर्व गठबंधन को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करना चाहिए।
- राज्यपालों को राजभवन के लॉन में विधायकों की गिनती कर किसी दल या गठबंधन के बहुमत के बारे में निर्णय नहीं लेना चाहिए, बहुमत का परीक्षण राज्य विधानसभा में ही होना चाहिए।
- किसी ऐसे व्यक्ति को राज्य के राज्यपाल के रूप में नियुक्त नहीं किया जाना चाहिए जो कि केन्द्र में सत्तारूढ़ के दल का सदस्य हो, जिसमें शासन किसी अन्य दल के द्वारा चलाया जा रहा हो।
- यदि राज्य सरकार विधानसभा में अपना बहुमत खो देती हैं तो राज्यपाल को सबसे बड़े विरोधी दल को सरकार बनाने का आमंत्रण देना चाहिए और विधानसभा में बहुमत साबित करने का निर्देश देना चाहिए। यदि सबसे बड़ा दल सरकार गठित करने की स्थिति में न हो तो राज्यपाल को राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने की सिफारिश करना चाहिए।

पुंछी आयोग

पुंछी आयोग का गठन 27 अप्रैल 2007 को किया गया जिसके अध्यक्ष पूर्व न्यायाधीश मदन मोहन पुंछी थे। मदन मोहन पुंछी की अध्यक्षता में पुंछी आयोग ने 310 अनुशंसाएँ की। इनकी सिफारिशें निम्न हैं:

- राज्य से बाहर के व्यक्ति को ही राज्यपाल नियुक्त किया जाना चाहिए जो क्षेत्रीय राजनीति से दूर हो।
- राज्यपाल का कार्यकाल निश्चित होना चाहिए जो कि 5 वर्ष तक होना चाहिए।
- राज्यपाल की पदावधि के लिए राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यन्त वाली बात नहीं होनी चाहिए तथा राज्यपाल को हटाए जाने के लिए राष्ट्रपति की तरह ही महाभियोग की प्रक्रिया होनी चाहिए।
- राज्यपाल की नियुक्ति के लिए एक समिति का गठन किया जाना चाहिए। इस समिति में प्रधानमंत्री, गृहमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, उपराष्ट्रपति तथा संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री सदस्य होने चाहिए।
- राज्यपाल विश्वविद्यालय के कुलाधिपति के रूप में कार्य न करें। वैधानिक पद धारण करने की परंपरा का अंत हो।

सेवानिवृत्त न्यायाधीश जिन्हें राज्यपाल पद पर नियुक्त किया गया

पिछले कुछ दिनों में केन्द्र सरकार ने कुछ राज्यों के राज्यपाल नियुक्त किए हैं जिसमें सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश एस. अब्दुल नजीर को आंध्रप्रदेश का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। जिसका विपक्ष ने विरोध करते हुए कहा कि यदि इस तरह से पूर्व न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाने लगी तो लोगों का न्यायपालिका से भरोसा ही उठ जाएगा। केन्द्र सरकार ने अपने पक्ष में तर्क किया कि संविधान के अंतर्गत प्रावधान है कि कोई भी व्यक्ति राज्यपाल बन सकता है जिसने "35 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो, वह भारत का नागरिक हो तथा वह कोई भी लाभ का पद धारण न करता हो", पूर्व न्यायाधीश एस. अब्दुल नजीर राज्यपाल बनने की सारी अर्हता रखते हैं। दूसरा तर्क सरकार ने यह दिया कि देखा जाए तो इसके पहले भी सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को राज्यपाल पद पर नियुक्त किया गया है। सन् 2014 में पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पी. सदा शिवम् को केरल राज्य का राज्यपाल बनाया गया था। सन् 1997 में पूर्व न्यायाधीश फातिमा बीबी को तमिलनाडू का राज्यपाल बनाया गया था।

संबंधित महत्वपूर्ण वाद

एस. आर. बोम्मई बनाम भारत सरकारः सर्वोच्च न्यायालय के कई ऐसे फैसले हुए हैं जिनका समाज और राजनीति पर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। इन्हीं में से यह एक ऐतिहासिक फैसला है जो 11 मार्च सन् 1994 में दिया गया, जो राज्यों में सरकारें भंग करने की केन्द्र सरकार की शक्ति को कम करता है। इस मामले में कर्नाटक के मुख्यमंत्री एस.आर.बोम्मई के फोन टैपिंग मामले में फंसने के बाद तत्कालीन राज्यपाल ने उनकी सरकार को बर्खास्त कर दिया था, जिसके बाद यह मामला सर्वोच्च न्यायालय में पहुँचा। सर्वोच्च न्यायालय के इस निर्णय ने केन्द्र सरकार द्वारा अनु. 356 के व्यापक दुरूपयोग पर विराम लगा दिया। इस फैसले में न्यायालय ने कहा था कि किसी भी राज्य सरकार के बहुमत का फैसला राजभवन की जगह विधानमंडल में होना चाहिए। राष्ट्रपति शासन लगाने से पहले राज्य सरकार को शक्ति परीक्षण का मौका देना होगा।

रामेश्वर प्रसाद बनाम भारत सरकारः वर्ष 2006 में दिए गए इस निर्णय में 5 सदस्यों वाली न्यायपीठ ने स्पष्ट किया था कि यदि विधानसभा चुनावों में किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता है और कुछ दल मिलकर सरकार बनाने का दावा करते हैं तो इसमें कोई समस्या नहीं है। चाहे चुनाव पूर्व उन दलों में गठबंधन हो या ना हो।

नाबाम रेबिया बनाम उपाध्यक्षः वर्ष 2016 में उच्चतम न्यायालय ने फैसला दिया था कि राज्यपाल के विवक के प्रयोग से संबंधित अनु. 163 सीमित है और उसके द्वारा की जाने वाली कार्यवाही मनमानी या काल्पनिक नहीं होनी चाहिए। अपनी कार्यवाही के लिए राज्यपाल के पास तर्क होना चाहिए और यह सद्भावना के साथ की जानी चाहिए।

सुझाव

- सर्वप्रथम राज्यपालों की नियुक्ति और उनके कार्यकाल से संबंधित प्रावधानों में बड़े सुधारों की आवश्यकता है।
- विभिन्न आयोगों की सिफारिशों को लागू किया जाना चाहिए और राज्यपालों की नियुक्ति प्रक्रिया में राज्यों को भी शामिल किया जाना चाहिए।
- राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियों पर अंकुश लगाया जाना चाहिए और मुख्यमंत्री की नियुक्ति को लेकर उचित दिशा निर्देश होना चाहिए।
- राज्यपाल द्वारा अपने दायित्वों को उचित रूप से निर्वहन करने में सक्षम बनाने के लिए राज्य सरकार, केन्द्र सरकार, संसद तथा राज्य विधानसभाओं को मिलकर एक सहमत आचार संहिता बनाई जानी चाहिए।
- राज्यपाल की कार्यकारी शक्तियों तथा विशेषाधिकारों को जवाबदेही तथा पारदर्शिता के साथ संलग्न किया जाना चाहिए।
- राज्यपालों द्वारा लिए गए निर्णयों को न्यायिक जाँच के अधीन लाया जाना चाहिए और उसमें उस निर्णय तक पहुँचने के लिए प्रयोग किए गए स्त्रोत भी शामिल किया जाना चाहिए।

निष्कर्ष

विभिन्न राजनैतिक दलों का मानना होता है कि राज्यपाल का पद व्यर्थ है और यह राज्य सरकारों पर वित्तीय बोझ है, परंतु राज्यपाल द्वारा निभाई जाने वाली महत्वपर्ण भूमिका की अनदेखी नहीं की जा सकती है। वह केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकार के बीच एक सेतु का कार्य करता है। वह राज्य सरकार के गठन में मदद करता है तथा राज्य विधानसभा में पारित होने वाले विधेयकों की वैधानिकता पर भी नजर रखता है। अतः लोकतंत्र के स्वस्थ कामकाज में राज्यपाल की आवश्यकता को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। हालांकि यह तथ्य भी सही है कि राजनैतिक हस्तक्षेप के कारण विगत कुछ समय में इस पद पर सवाल उठे हैं। यदि विभिन्न आयोगों की अनुशंसाओं को ध्यान में रखकर कार्य किया जाए तो राज्यपाल पद से संबंधित विवादों और चुनौतियों को दूर किया जा सकता है।

संदर्भ सूची

1. https://www.drishtiias.com/hindi/daily-news-analysis/controversial_role_of_governors
2. https://www.abplive.com/news/india/governor-vs-state-governments-controversy-is-not-new-know-what-arethepowers-of-the-governor-2256798
3. https://journalsofindia-com.translate.goog/governors-role-controversies-and-reforms/?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=hi&_x_tr_hl=hi&_x_tr_pto=tc
4. https://www.punjabkesari.in/article/news/confrontation-between-the-governors-and-state-govt-is-not-justified-in-any-way-1712335
5. https://www.jagran.com/editorial/apnibaat-how-the-conflict-between-the-chief-minister-and-the-governor-averted-discretionary-powers-have-always-been-in-disputes-jagran-special-20908392.html
6. भारत का संविधान – लेखक, जय नारायण पाण्डेय (संस्करण 2022)
7. भारत का संविधान – लेखक, डी. डी. बसु (संस्करण 2022)
8. भारत का संविधान – लेखक, सी. के. तकवानी (संस्करण 2022)

****